न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया , आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 18/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/86

अनवान्

1. श्रीमती उंकारी बेवा भेरा जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. श्री दलीचन्द पिता भेरा जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री देवीलाल पिता भेरा जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती आशाबाई पत्नी मिठूलाल जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
4. सुश्री कोमल पुत्री मिठूलाल जणवा नाबालीग जरिये सरंक्षक माता श्रीमती आशाबाई पत्नी मिठूलाल जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
5. सुश्री प्रिया पुत्री मिठूलाल जणवा नाबालीग जरिये सरंक्षक माता श्रीमती आशा बाई पत्नी मिठूलाल जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
6. श्री माणा प्राकृतिक पुत्र भेरा दत्तक पुत्र डालु जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
7. श्री कालु पिता गांगा जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
8. श्री नारायण पिता रूपा जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
9. श्री नारायण पिता लालू जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
10. श्री भवंरू पिता लालू जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
11. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

.....विपक्षीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:50:41 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांकः—12.11.2024

1. प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि मौजा सालेडा पटवार हल्का सालेडा भू अभिलेख निरीक्षक सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में निम्न कृषि आराजीयात स्थित है जो इस वाद में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। परिशिष्ट (क) की खाता न. 305 की खसरा न. 1843, 1847, 1848, 1850, 2307 किता 5 रकबा 1.5200 है. स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में आशाबाई पत्नी मिठूलाल 1/24 हिस्सा, उंकारी पत्नी भेरा 1/8 हिस्सा, नाबालीग कोमल पुत्री मिठूलाल 1/24 हिस्सा, दलीचन्द पुत्र भेरा 1/8 हिस्सा देवीलाल पुत्र भेरा 1/8 हिस्सा, नाबालीग प्रीया पुत्री मिठूलाल 1/24 हिस्सा, माणा प्राकृतिक पुत्र भेरा दत्तक पुत्र डालु जणवा 1/2 हिस्सा जणवा सा. देह के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट (ख) की खाता न. 306 की आराजी संख्या 1344, 1345 किता 2 रकबा 0.2200 है. स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उंकारी बाई पत्नी भेरा 1/24 हिस्सा, कालु पुत्र गांगा 1/3 हिस्सा, दलीचन्द पुत्र भेरा 1/24 हिस्सा, देवीलाल पुत्र भेरा 1/24 हिस्सा, नारायण पिता रूपा 1/3 हिस्सा, भोली पत्नी डालु 1/6 हिस्सा, मिठूलाल पिता भेरा 1/24 हिस्सा जणवा सा. देह के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या 280 की आराजी संख्या 1329, 1330 किता 2 रकबा 0.0300 है. स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नारायण पुत्र लालू 1/4 हिस्सा, भेरा पुत्र नवला 1/4 हिस्सा, भंवरू पुत्र लालू 1/4 हिस्सा, भोली पत्नी डालु 1/4 हिस्सा जणवा सा. देह के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट (घ) की खाता संख्या 281 की आराजी 1331, 1332, 1334 किता 3 रकबा 0.1200 है. स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नारायण पुत्र लालू 3/8 हिस्सा, भेरा पुत्र नवला 1/8 हिस्सा, भंवरू पुत्र लालू 3/8 हिस्सा, भोली पत्नी डालु 1/8 हिस्सा जणवा सा. देह के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट (च) की खाता संख्या 519 की आराजी न. 1338, 1339, 1845, 1846, 1851, 2305, 330 किता 7 रकबा 2.2500 है. स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उंकारी पत्नी भेरा 1/4 हिस्सा, दलीचन्द पुत्र भेरा 1/4 हिस्सा, देवीलाल पुत्र भेरा 1/4 हिस्सा, मिठूलाल पिता भेरा 1/4 हिस्सा जणवा सा. देह के नाम पर अंकित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Banediya
Date: 2025.05.19 13:50:41 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थनाग्रस्त खाता न. 305 परिशिष्ट (क) की आराजीयात में प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा, विपक्षी माणा गोद पुत्र डालु का 1/2 हिस्सा, विपक्षी दलीचन्द का 1/8 हिस्सा, विपक्षी देवीलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी आशाबाई, प्रिया, कोमल का 3/24 हिस्सा हक अधिकार है। इसी तरह खाता न. 306 परिशिष्ट (ख) की आराजीयात में प्रार्थीया का 1/24 हिस्सा, विपक्षी कालु का 1/3 हिस्सा, विपक्षी दलीचन्द का 1/24 हिस्सा, विपक्षी देवीलाल का 1/24 हिस्सा, विपक्षी नारायण पिता रूपा का 1/3 हिस्सा, विपक्षी माणा दत्तक डालु का 1/6 हिस्सा, विपक्षी आशाबाई, कोमल, प्रिया का 1/24 हिस्सा हक अधिकार है। इस भूमि के खातेदार श्रीमती भोली पत्नी डालु का निधन हो गया जिसका विधिक वारिश गोद पुत्र माणा विपक्षी है इसी तरह खातेदार मिठूलाल पिता भेरा का निधन हो गया जिसके वारिश पत्नी आशा बाई एवं दो पुत्रींया कोमल एवं प्रिया है जो दोनो नाबालीग है। इसी तरह खाता नम्बर 280 परिशिष्ट (ग) की आराजीयात में प्रार्थीया का 1/16 हिस्सा, विपक्षी देवीलाल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी दलीचन्द का 1/16 हिस्सा, विपक्षी आशाबाई, प्रिया, कोमल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी नारायण पुत्र लालू का 1/4 हिस्सा, विपक्षी भंवरू पिता लालू का 1/4 हिस्सा, एवं माणा दत्तक पुत्र डालु का 1/4 हिस्सा हक अधिकार है। इस भूमि के खातेदार श्रीमती भोली पत्नी डालु का निधन हो गया जिसका विधिक वारिश गोद पुत्र माणा विपक्षी है। इस भूमि के खातेदार भेरा पिता नवला का निधन हो गया जिसके वारिश प्रार्थीया पत्नी एवं तीन पुत्र देवीलाल, दलीचन्द उवं मिठूलाल हूए एवं मिठूलाल का निधन हो जाने से उसकी पत्नी आशा बाई एवं दो पुत्रींया कोमल, प्रिया वारिसान है।

3. यह कि खाता संख्या 281 परिशिष्ट (घ) की आराजीयात में प्रार्थीया का 1/32 हिस्सा, विपक्षी देवीलाल का 1/32 हिस्सा, विपक्षी दलीचन्द का 1/32 हिस्सा, विपक्षी आशाबाई, प्रिया, कोमल का 1/32 हिस्सा, विपक्षी नारायण पिता लालू का 3/8 हिस्सा, विपक्षी भंवरू का 3/8 हिस्सा एवं विपक्षी माणा दत्तक पुत्र डालु का 1/8 हिस्सा हक अधिकार है। इस भूमि के खातेदार श्रीमती भोली पत्नी डालु का निधन हो गया जिसका विधिक वारिश गोद पुत्र माणा विपक्षी है। इस भूमि के खातेदार भेरा पिता नवला का निधन हो गया जिसके वारिश प्रार्थीया पत्नी एवं तीन पुत्र देवीलाल, दलीचन्द एवं मिठूलाल हूए एवं मिठूलाल का निधन हो जाने से उसकी पत्नी आशा बाई एवं दो पुत्रीया कोमल, प्रिया वारिसान है। इसी तरह खाता न. 519 परिशिष्ट (च) की आराजीयात में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा, विपक्षी दलीचन्द का 1/4 हिस्सा, विपक्षी देवीलाल का 1/4 हिस्सा, विपक्षी आशाबाई, कोमल, प्रिया का 1/4 हिस्सा हक अधिकार है। इस भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:50:41 IST
Reason: SelfAttested

खातेदा मिठूलाल का निधन हो जाने से उसकी पत्नी आशा बाई एवं दो पुत्रीयां कोमल, प्रिया वारिसान है।

4. यह कि उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का पक्षकारान वाद वर्णित हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहें है लेकिन उक्त भूमि का प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य मिटस एवं बाउन्डस से कानूनी रूप से रकबा की कमी पुर्ति करते हूए विभाजन किया हुए अलग से सिमांकन नहीं होने, प्रार्थीया को ऋण लेने, लगान जमा कराने में दिक्कत आ रही है एवं प्रार्थीया महिला होने से विपक्षीगण उसको उसके हक हिस्से अनुसार काश्त कार्य करने में बाधा पेदा कर रहे है मनाही करने पर प्रार्थीया के हक व अधिकारों को चुनोती दे रहें है एवं प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा गाली गलोज कर बेदखल करने की धमकीया दे रहें है एवं दौराने वाद बिना विभाजन के भूमि खुर्द बुर्द करने की धमकीयां दे रहें हैं जिससे प्रार्थीया को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय में मूल वाद वास्ते विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश किया गया। विपक्षी संख्या 6 से 10 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया का वाद प्रिमेच्योर है अर्थात परिशिष्ट (ग) (घ) में वर्णित आराजीयात राजस्व रेकर्ड में वादीया के पति स्व. भेरा जी के नाम पर दर्ज हैं तथा परिशिष्ट (ख) (च) में वर्णित आराजीयात राजस्व रेकर्ड में विपक्षी सं. 03 से 05 के पूर्वाधिकारी स्व. मिठूलाल के नाम पर दर्ज है। जब तक (अ) स्व. भेरा जी के विधिक वारिसान एवं (आ.) स्व. मिठूलाल जी के विधिक वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो जावें तब तक वादिया के द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद का विधिक सम्मत निर्णय नहीं किया जा सकता है वादीया के वाद में ऐसी कोई घोषणा की राहत की मांग नहीं कि हैं कि स्व. भेरा जी के वारिसान और उनके पुत्र मिठूलाल जी की मृत्यु के बाद उसके वारिसानों को वादवर्णित आराजीयात (ख) (ग)(घ) व (च) में उनको हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें, उेसी स्थिति में भी वादिया का वाद पोषणीय नहीं है। यह कि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिसम्मत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच भूमि पर सभी सहखातेदारो का [illegible] कब्जा वर्षो से क्यों न चला आ रहा हो अथवा किसी से बेदखल क्यों न कर दिया गया हो। किसी भी सहखातेदार/सह स्वामी को उसके हिस्से की भूमि का कब्जा प्रदान किये बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:50:41 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय करने से रोकने का किसी सहस्वामी को कोई अधिकार नहीं होता है। यदि किसी एक सह खातेदार ने अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध विभाजन का दावा कर भी रखा हो तो भी किसी भी विपक्षी को अरथाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के द्वारा बिना कब्जा हस्तान्तरण के विक्रय करने से नहीं रोका जा सकता हैं और यदि बाद प्रस्तुति वाद किसी सह खातेदार प्रतिवादी ने उनका हिस्सा अथवा हिस्से के किसी भाग की जमीन को किसी अन्य को बेच भी दी हो तो उसको भी प्रतिवादी विक्रेता के साथ प्रतिवादी क्रेता बनाया जाकर विधिवत विभाजन कर डिक्री प्राप्त की जा सकती है। प्रार्थीया महिला होने से विपक्षीगण उसको उसके हक हिस्से अनुसार काश्त कार्य करने से बाधा पेदा कर रहे है मनाही करने पर प्रार्थीया के हक व अधिकारों को चुनोती दे रहें है एवं प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा गाली गलोच कर बेदखल करने की धमकीयों दे रहें है एवं दौराने वाद बिना विभाजन के भूमि खुर्द बुर्द करने की धमकियां दे रहें हैं जिससे प्रार्थीया को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय का पेश किया हैं असत्य होने से अस्वीकार हैं।

6. यह कि प्रार्थीया श्रीमती उंकारी पिछले 25 वर्षों से उके पति स्व. भेरा जी के साथ ही गांव के अन्दर स्थित पुराने मकान में ही रह रही थी और उसके पति भेरा जी की लगभग 20 वर्षों पूर्व मृत्यु हो गई तब से भी मुझ विपक्षी सं. 03 के पति मिठूलाल जी की मृत्यु दिनांक 12.12.2014 के बाद तक भी रह रही थी। विपक्षी सं. 02 देवीलाल ने मुझ विपक्षी सं. 03 के घर में घुसकर विपक्षी स. 3 के साथ छेडछाड व मारपीट की जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 142/21 पुलिस थाना, भीण्डर है तथा विपक्षी सं. 01 व 02 की न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भीण्डर में दिनांक 24.06.2022 को जमानतें हुई और आगामी पेशी दिनांक 05.08.2022 को नियत है कोर्ट के प्र. सं. 116/2022 रै. फौ सरकार –विरूद्ध देवीलाल वगैरह है। उससे प्रार्थीया श्रीमती उंकारी बाई मुझ विपक्षी सं. 03 से नाराज हो गई और विपक्षी संख्या 01 व 02 जबरन प्रार्थीया को पुराने घर से आ. न. 1329, 130 में स्थित मकानों में रहने के लिए लेकर चले गये और मुझ विपक्षी संख्या 3 के हिस्से व कब्जे के कमरे व दुकानों से जबरन बेदखल कर अनपढ अशिक्षित 90 वर्षीय वृद्ध, ग्रामीण पर्दानशीन महिला के वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र के कागजों पर अंगुठा निशानी लगवा कर उक्त मिथ्या एवं निराधार वाद प्रस्तुत कर दिया हैं। प्रार्थीया को यह भली भांति मालूम है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से की भूमि को विक्रय करने से उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थीया ने इस कलम में स्पष्ट लिखा है कि ... मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। कृषि भूमि एवं पशुपालन के अलावा ... विपक्षी 03 की आय एवं भरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:50:41 IST
Reason: SelfAttested

पोषण का कोई स्त्रौत नहीं है विपक्षी सं. 03 भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है इसलिए विपक्षी सं. 03 भी अपने हक हिस्से की भूमि को ही विक्रय करने का विचार कर रही है न कि किसी विशेष हिस्से की सम्पत्ती/ कृषि भूमि को अथवा किन्ही चार पडौसों मध्य स्थित कृषि भूमि को। यदि मुझ विपक्षी सं. 03 के द्वारा मेरे हक हिस्से की कृषि भूमि को चारों पत्तैसा लिखे बगैर किसी अन्य को विक्रय कर दी जाती है तो प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 01 व 02 को किसी भी प्रकार की कठिनाई, असुविधा एवं अशोधनीय क्षति नहीं होगी न होने की कोई संभावना ही हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

   1. **प्रथम दृष्ट्या मामला–:** प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह पाया कि प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसी के साथ प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात सामलाति दर्ज भूमि हैं जिसका खातेदारो के मध्य मिटस् एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन नहीं हुआ हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि में सह खातेदार हैं। खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।

8. **सुविधा संतुलन–:** प्रकरण में विपक्षीगण सहखातेदार हैं। खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

9. **अपूरणीय क्षति–** प्रकरण में [illegible] का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का [illegible] भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:50:41 IST
Reason: SelfAttested

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद में बटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षीगण की सामलाति दर्ज भूमि हैं। विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार हैं: खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस संबंध में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त "RRT 2013 (1) P.123 BOARD OF REVENU RAJASTHAN MOHARPAL & ORS. VS PRABHU SINGH हुबहु चस्पा होता है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया है कि रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं हैं।" अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जायेगें। इस पत्रावली में विवेचन के लिए हमें तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर ही विवेचन करना है। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जा चुके है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:50:41 IST
Reason: SelfAttested